संख्या–20 / 1 / 91(1) / का –2–2012

.प्रेषक

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक 18 अप्रैल, 2012

विषय :– भर्ती / नियुक्ति पर प्रतिबन्ध

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनाँक 15 मार्च 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों को (लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती तथा मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने वाली भर्ती को छोडकर) तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबन्धित किया गया है।

2. सम्यक विचारोपरान्त मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन को भी प्रतिबन्ध से मुक्त किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। भर्ती पर लगाये गये शेष प्रतिबन्ध, जैसा कि उक्त वर्णित शासनादेश दिनाँक 15.03.2012 में वर्णित हैं, अग्रिम आदेशों तक यथावत रहेंगे।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रस्तर–1 में उल्लिखित शासनादेश दिनाँक 15–03–2012 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये । कृपया लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने अधिनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को भी तद्नुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–20 / 1 / 91(1) / का –2–2012, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित /–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2. प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3. प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वेब अधिकारी / वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
(एच. एल. गुप्ता)
विशेष सचिव